



अल्पसंख्यक नविशकों को वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

- कंपनी कानून (Company Law) के अंतर्गत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक नविशकों (Minority Investors) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना 'क्लास एक्शन लॉ सूट' (Class Action Lawsuits) तैयार की जा रही है। यह योजना नविशकों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (Corporate Affairs Ministry) भी नविशकों के हितों की रक्षा के उपायों पर आगे की कार्रवाई के लिये क्लास एक्शन सूट (Class Action Suits) के तहत नविशकों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

क्लास एक्शन सूट (Class Action Suit)

- इसके अंतर्गत एक जैसे कानूनी मामलों का सामना कर रहे नविशकों को एक साथ आने और एक मुकदमे में शामिल होने का मौका दिया जाता है।
- यह वैध तरीके से मामले को प्रस्तुत करने का सस्ता तरीका भी है।
- इसकी अनुपस्थिति में शेयरहोल्डर्स के लिये कोई मुकदमा करना और मुआवजे की मांग करना महंगा पड़ता है।

कंपनी अधिनियम के संदर्भ में

- कंपनी अधिनियम की धारा 245 के तहत यदि नविशकों को लगता है कि किसी कंपनी के मामलों का प्रबंधन या आचरण नविशकों के हितों के प्रतिकूल है तो ये 'क्लास एक्शन सूट' के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकते हैं।
- क्लास एक्शन सूट की यह अवधारणा जो कि नविशकों को सामूहिक रूप से उपाय ढूंढने का विकल्प देती है, पश्चिमी देशों में ज्यादा प्रसिद्ध है।

कंपनी अधिनियम 1956

- कंपनी अधिनियम 1956 एक अति महत्वपूर्ण विधान है जो केंद्र सरकार को कंपनी के गठन और कार्यों को वनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- इसे भारत की संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया तथा समय-समय पर इसमें संशोधन किये गए।
- ये अधिनियम कम्पनियों के गठन को पंजीकृत करने के साथ ही उनके निदेशकों और सचिवों की ज़िम्मेदारी का निर्धारण करते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 1956 भारत के संघीय सरकार द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, सार्वजनिक न्यायी, कंपनी लॉ बोर्ड आदि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
- 2013 में संसद द्वारा कंपनी अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है।

- क्लास एक्शन सूट का निरीक्षण सरकार द्वारा किया जाएगा, सरकार जल्द ही **नविशक शिक्षा और संरक्षण नधि** (Investor Education and Protection Fund- IEPF) के सहयोग से अल्पसंख्यक नविशकों को क्लास एक्शन फाइल करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना प्रस्तुत करेगी।
- IEPF क्लास एक्शन सूट पर किये गए कानूनी खर्चों की प्रतपूर्ति के लिये एक योजना प्रस्तुत करेगी।
- नविशक शिक्षा और **संरक्षण नधि** (IEPF) का प्रबंधन IEPF प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- पछिले महीने जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, IEPF का संचित कोष 4,138 करोड़ रुपए है।

नविशक शिक्षा और संरक्षण नधि

Investor Education and Protection Fund Authority

- नविशक शक्तिषा और संरक्षण कोष (IEPF) को कंढनी अधनियिड, 1956 की धारा 205C के तहत कंढनी (संशोधन) अधनियिड, 1999 के ढाध्यड से स्थापति कयि गयल है ।
- अधनियिड के अनुसलर, ढुगतलन के लयि दी गई तलरिख से सलत वरुष की अवधकिे लयि ललवलरसि और अनडेड (Unpaid) रलशल जैसे- कंढनयिड के अनडेड ललढलंशल खलते, डेकुरेड डडिडलडि, डेकुरेड डडिडर (ःणडडतर), केंदुर सरकलर, रलकुर सरकलर, कंढनयिड ल कसिी अनुर संसुथलनू दवलरल अनुदलन और दलन, डंड से कयि गल नवलश से डुरलडत डुरलडड ल अनुर आड आदर को IEPF डें डडल कयि डलएगल ।
- डंड की स्थापनल कल डुखुड उददेशुड नवलशक शक्तिषल, डलगरुकतल और सुरकषल से संबंडति गतवधियिड कल डडरुथन करनल है ।

इसकी आवशुडकतल कुरी?

- कलसल एकुशन सुट को डडलवल देनल नवलशकू के कई उदलहरणू की डुरुठढुडकिे खलिललड डहततुवडुरण है डु अवैध डनी डूलगि डुडनलडू के सलथ-सलथ कूरुडुरेड डुरशलसन के डुदुदू और कुरु कंढनयिड डें धुरखलधुडी डुरथलडू से डुरढलवति डु रहे डें । डललूकडि, कलसल एकुशन डुडनल शुरु करनल आसलन नहूँ है, कुरीकडि इससे संबंडति डलनकलरी असडडति (Asymmetry) है ।
- अलुडसंखुडक नवलशक कलसल एकुशन को आगे डडलने के लयि डुरी तरह से तैडलर नहूँ डें । सलथ डी इसडें असहडति के लयि डी डुरलवधलन है ।
- कलसल एकुशन सुट अलुडसंखुडक शेरधलरकू (डु डडसे डुरलदल डुरेशलनयिड कल सलडनल कर रहे डें) को सशकत डनलने कल एक डहततुवडुरण तरीकल है ।
- डीडति अलुडसंखुडक नवलशकू को कंढनी अधनियिड डें डुरदलन कयि गल कलसल एकुशन सुट कल सहलरल लेनल डलहयि ।
- कलसल एकुशन सुट के तहत नवलशकू को डुरुतुसलहति करने के लयि आवशुडक कदड उडलए डल रहे डें ।
- डदर वैधलनकि लेखलडुरीकषक नवलशकू के हति डें कूडू ललडरवलही करते डें डल गलत डडलनू कल डडरुथन करते डें तू नवलशक उनके खलिललड कलसल एकुशन के तहत कलरुवलडू के लयि आगे आ सकते डें ।

सुरुत- द इकूनुडडकि टलडुडस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/govt-set-to-provide-financial-assistance-to-minority-investors-for-class-action-lawsuits>

